न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 15 / 2021
GCMS No-2021/64

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली हाल बांसवाडा		रेवंतसिंह पुत्र श्री जवाहरसिंह राजपुरोहित, मैसर्स मां जोधपुर स्वीट्स, नया बस स्टेण्ड के सामने, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अनुपस्थित।
2. अप्रार्थी उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 06.04.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित। अप्रार्थी ने नियत तारीख पेशी को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अपना मौखिक जवाब पेश किया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय ,पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 31.10.2020 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मां जोधपुर स्वीट्स, नया बस स्टेण्ड के सामने, पाली पर गये। मौके पर अप्रार्थी श्री रेवतंसिंह सिंह उपस्थित मिला तथा उसकी फर्म का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ मिर्च मेथी का आचार (मारवाडी) के पैकेट 500–500 ग्राम के जो आमजन को बिक्री हेतु रखे हुए थे जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य पदार्थ मिर्च मेथी का आचार (मारवाडी) के चार पैकेट वास्ते जांच हेतु क्रय किया, उक्त क्रयसुदा मिर्च मेथी का आचार (मारवाडी) के चारो पैकेट को चार भागो में विभाजित कर नियमानुसार चार लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–1118 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौके पर मौका फर्द तैयार की, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एंव स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी की दुकान से लिये गये चारों नमुनो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोद से चिपकाया व प्रत्येक नमूने पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड व क्रमांक आर–1118, गोद से नियमानुसार चारो नमूना के मुह से पैदे की ओर चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना को नियमानुसार धागे से बांध कर चपडी से सीलबंद कर सील मुहर किया जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने नियमानुसार हस्ताक्षर किये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। मौके पर मौका फर्द तैयार कर अप्रार्थी एंव गवाहान को पढकर सुनाया, जिसे सुनकर समझकर एवं सही मान कर अप्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमुना कोड क्रमांक आर–1118 को वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जोधपुर की रिपोर्ट संख्या एलएस / 658 / एक्ट / 2020 / 658 दिनांक 09.11.2020 द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ मिर्च मेथी का

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्थान) पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

आचार (मारवाडी) को Misbranded under Section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act-2006 का होना जाहिर किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded under Section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act-2006 खाद्य पदार्थ मिर्च मेथी का आचार (मारवाडी) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेरी दुकान से लिया गया खाद्य पदार्थ मिर्च मेथी का आचार (मारवाडी) का उत्पादन मेरे द्वारा नही किया जाता है मेरे द्वारा कम्पनी से तैयार मिर्च मेथी का आचार (मारवाडी) जैसे मुझे प्राप्त होता है, उसमे बिना छेडछाड किये बिना तथा किसी प्रकार की मिथ्याछाप या लेबलिंग बिना आमजन को विक्रय किया जाता है। उक्त मिर्च मेथी का आचार (मारवाडी) में किसी प्रकार की मिलावट नही पायी गई है, जो खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, जोधपुर की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः श्रीमान से निवेदन है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण खारिज फरमाकर मुझे राहत प्रदान करावें।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी के बहस/जवाब पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.10.2020 को अप्रार्थी की फर्म से मिर्च मेथी का आचार (मारवाडी) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1118 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./659/एक्ट/2020/658 दिनांक 09.11.2020 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1118 को Misbranded under Section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act-2006 माना है। चूंकि अप्रार्थी ने अपने मौखिक जवाब में निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ मिर्च मेथी का आचार (मारवाडी) का उत्पादन एवं पैकिंग अप्रार्थी की फर्म द्वारा नही किया जाता है उसे संबधित कम्पनी द्वारा जैसा दिया जाता है वेसा ही आमजन को विक्रय किया जाता है, अप्रार्थी द्वारा उसमें किसी प्रकार की मिलावट नही की जाती है, न ही किसी प्रकार की मिथ्याछाप या लेबलिंग की जाती है, जिसके आधार पर अप्रार्थी पर किसी प्रकार की शास्ति आरोपित करना न्यायोचित प्रतित नही होता है।।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2) के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 06.04.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली